




## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख:- 19.06.2023 से 23.06.2023

जिला- बोकारो, संख्या:- 01/2023-24

केस का प्रकार:- जमाबंदी वाद

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
19.06.2023	<p>आवेदक गिरधारी राम पिता जागो राम, ग्राम- बिरनी, थाना- नावाडीह, जिला- बोकारो द्वारा आवेदित किया गया है कि मेरे नाम से खाता सं0 94, प्लॉट सं0 2582, रकबा 0.85 ए0 भूमि ऑफलाईन पंजी ॥ में जमाबंदी दर्ज है। खाता सं0 94, प्लॉट सं0 2582, रकबा 0.28 1/3 ए0 भूमि ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज नहीं है जिसे ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज करने की कृपा किया जाय।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 23.06.2023 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: center;"> अंचल अधिकारी, नावाडीह।</p>	
23.06.2023	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बिरनी, थाना सं0 78, जमाबंदी सं0 96/V, खाता सं0 94, प्लॉट सं0 2582, रकबा 0.28 1/3 ए0 भूमि गिरधारी राम पिता जागो राम के नाम से ऑफलाईन जमाबंदी पंजी ॥ में दर्ज है जो रैयती खाते की है। उनके द्वारा ऑफलाईन पंजी ॥ की सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया गया है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन पंजी ॥ में दाखिल खारिज वाद संख्या अंकित नहीं पाया गया है जिससे जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> अंचल अधिकारी, नावाडीह।</p> <p style="text-align: center;"> अंचल अधिकारी, नावाडीह।</p>	